78

दिनांक 05/08/2016 को उपायुक्त, खूँटी के अध्यक्षता में जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति पंजी के अनुसार।
2. सर्व प्रथम उपायुक्त महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उपायुक्त, खुँटी के द्वारा बताया गया कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 में किए गए संशोधन अधिनियम 2015 के आलोक में उक्त अधिनियम की धारा 09(B) के आलोक में जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग के अधिसूचना सं0–ख0नि0(विविध)–76/2015–2435/एम0,राँची, दिनांक 24 नवम्बर 2015 में उल्लेखित प्रावधानों का विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। खनन प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे परिवार/व्यक्तियों के हितों की रक्षा एवं आधारभुत संरचनाओं का प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) में उल्लेखित मार्गदर्शन के आलोक में कार्यन्यवयन हेतु आवश्यक निर्देश दिये गए।
3. निर्देश दिया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों का वर्गीकरण कर मैपिंग किया जाए। जिसमें 100 प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर पेय जल एवं स्वच्छता विभाग, स्वास्थय विभाग, शिक्षा विभाग, के सहयोग से डी0पी0आर0 तैयार किया जाए।
4. जिला में ट्रस्ट में प्राप्त होने वाली राशि से तीन गुणा अधिक राशि का डी0पी0आर0 तैयार किया जाए। डी0पी0आर0 तैयार होने के उपरांत इसे ग्राम सभा में अनुमोदन हेतु भेजा जाना है।
5. उपायुक्त महोदय द्वारा पृक्षा की गई कि इस जिले में कौन कौन क्षेत्र खनन प्रभावित है। सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खूँटी अंचल के डुगडुगिया, जियारप्पा, कानाडीह, डंडोल, एवं तोरपा अंचल के डोड़मा क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित है।
6. निर्देश दिया गया कि ग्राम सभा के दौरान जिले के पदाधिकारी प्रवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे (Dt. 11.8.16).
7. सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट खूँटी का भारतीय स्टेट बैंक, खूँटी में खाता सं0 35790907529 उप विकास आयुक्त, खूँटी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खूँटी के नाम से संयुक्त रूप से खोलवा दिया गया है। प्रारंभिक व्यय हेतु कार्यालय व्यय से 1000/–रू0 मात्र खाता में जमा करा दिया गया है। खाता संचालन हेतु उप विकास आयुक्त, खूँटी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खूँटी को संयुक्त रूप से प्रबंधकीय समिति द्वारा संपुष्टि की गई। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खूँटी, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट खूँटी के कोषाध्यक्ष (treasurer) रहेंगे।
8. न्यास परिषद में दो खनन पट्टेधारी 1. श्री नीतेश शारदा, 2. श्री संतोष संगा, को नामित किया गया है। जिसे शासी परिषद द्वारा संपुष्ट किया गया।

5.8.16	05.08.16	05/8
सहायक खनन पदाधिकारी, खूँटी।	उप विकास आयुक्त, खूँटी।	उपायुक्त, खूँटी।